रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 632] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 12, 2018/भाद्र 21, 1940
No. 632] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 12, 2018/BHADRA 21, 1940

नागर विमानन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 अगस्त, 2018

सा.का.नि. 864(अ).—कतिपय नियमों का निम्नलिखित प्रारूप जिसमें केन्द्रीय सरकार, वायुयान अधिनियम, 1934 (1934 का 22) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वायुयान नियम, 1937 में और संशोधन करने का प्रस्ताव करती है, जिसे उक्त अधिनियम की धारा 14 की अपेक्षानुसार ऐसे व्यक्तियों की जानकारी के लिए, जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना है, प्रकाशित किया जाता है और एतद्वारा सूचना दी जाती है कि भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की प्रतियों को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए जाने की तारीख से तीस दिन की अवधि के पश्चात उक्त प्रारूप नियम पर विचार किया जाएगा;

आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हो, तो उसे महानिदेशक नागर विमानन, सफदरजंग हवाईअड्डा के सामने, नई दिल्ली-110003 को भेजें या dgoffice.dgca@nic.in पर मेल करें';

उक्त विनिर्दिष्ट अवधि के समाप्त होने से पूर्व उक्त प्रारूप नियमों के बाबत किसी व्यक्ति से प्राप्त आक्षेप या सुझाव पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

प्रारूप नियम

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वायुयान (.....संशोधन) नियम, 2018 है।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. वायुयान नियम, 1937 में, नियम 29 घ में,---

(क) उप-नियम (1) में,-

(क) खंड (i) के स्थान पर निम्नलिखित को रखा जाए, अर्थात;-

"नियम 134 या नियम 143 क के अधीन जारी अनुसूचित या गैर-अनुसूचित प्रचालक अनुज्ञा का धारक हो और विमान और/या हेलीकॉप्टर, यथा-स्थिति, प्रचालन में संलग्न हो, या

(ख) खंड (iv) और (v) में, "वायुयान" शब्द के स्थान पर, "नियम 133 ख के अधीन अनुमोदित वायुयान इंजन या प्रोपेलर" शब्दों को रखा जाए।

(ग) खंड (vi) के स्थान पर, निम्नलिखित को रखा जाए, अर्थात;-

"(vi) नियम 133 ख के अधीन अनुमोदित अनुरक्षण संगठन हो और विमान और/या हेलीकॉप्टर के अनुरक्षण में संलग्न हो, या"

(ख) स्पष्टीकरण में, मद (क) के स्थान पर, निम्नलिखित को रखा जाए, अर्थात;-

"(क) सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली प्रंबधक सुरक्षा के उस सुव्यवस्थित दृष्टिकोण से अभिप्रेत है जिसमें आवश्यक संगठनात्मक संरचान जवाबदेही, जिम्मेदारी, नीतियां और प्रक्रियाएं हों,"

(ग) नियम 82 में, उप-नियम (1) में, "कोई ऐसा स्थान जहाँ जाना आवश्यक हो, वहाँ सभी युक्ति- संगत समय या अन्तराल पर प्रवेश कर सकेगा।" शब्दों के स्थान पर "अनिर्वधित और असीमित जा सकेगा।" शब्दों को रखा जाए;

(घ) नियम 134ख के स्थान पर निम्नलिखित को रखा जाए, अर्थातः-

134ख हवाई कार्य,- (1) कोई व्यक्ति तब तक कोई हवाई कार्य नहीं कर सकेगा जब तक कि उसके पास महानिदेशक द्वारा जारी प्राधिकार पत्र न होः

परन्तु यह तब जब कि कोई व्यक्ति जो नियम 134 क के उप-नियम (2) के अधीन दिया गया विधिमान्य गैर-अनुसूचित प्रचालक अनुज्ञा का धारक है, ऐसी अपेक्षाओं जो महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं, का अनुपालन करते हुए ऐसे प्राधिकार पत्र के बिना हवाई कार्य कर सकेगा

(2) विहित प्रपत्र में आवेदन प्राप्त होने पर और इस बात का समाधानप्रद हो जाने पर कि इस संबंध में विनिर्दिष्ट अपेक्षाएं पूरी कर ली गई है, महानिदेशक किसी व्यक्ति को हवाई कार्य करने के लिए प्राधिकार पत्र जारी कर सकेंगे।

(3) उप-नियम (2) के अधीन दिया गया प्राधिकार पत्र दो वर्ष से अनधिक अवधि जिसे एक बार दो वर्ष से अनधिक अवधि के लिए नवीकृत किया जा सकेगा, के लिए विधिमान्य होगा अन्यथा वह निलंबित या रद्द न कर दिया गया हो।

(4) इस नियम के अधीन प्राधिकार पत्र देने के लिए 50,000/- रूपये और उसके नवीकरण के लिए 25,000/- रूपये की फीस संदेय होगी। यह फीस महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट रीति में संदाय की जा सकेगी।

(5) महानिदेशक का इस बात का समाधाप्रद हो जाने पर कि;-

(i) प्राधिकार पत्र के धारक द्वारा प्राधिकार पत्र की किन्हीं शर्तों का अनुपालन नहीं किया गया है, या

(ii) कोई सूचना छिपा कर के या कोई गलत सूचना देकर प्राधिकार पत्र प्राप्त किया गया है, या

(iii) भारत सरकार, गृह मंत्रालय द्वारा प्राधिकार पत्र के धारक की सुरक्षा अनापत्ति वापस ले ली गई है या इनकार कर दी गई है,

इस नियम के अधीन जारी प्राधिकार पत्र को ऐसी अवधि जिसे वह उचित समझे, के लिए रद्द या निलंबित कर सकते है।

परन्तु ऐसे किसी प्राधिकार पत्र को उस प्राधिकार पत्र के धारक को लिखित रूप से उस आधार जिस पर प्राधिकार को निलंबित या रद्द करने का प्रस्ताव है, सूचना देते हुए और ऐसे युक्तिसंगत समय जिसे नोटिस में विनिर्दिष्ट किया जाए, के भीतर लिखित रूप में अभ्यावेदन देने और यदि वह व्यक्ति सुने जाने की ऐसी इच्छा करता है, यथोचित समय देते हुए, कारण-बताओ नोटिस जारी किए बिना रद्द या निलंबित नहीं किया जा सकेगा।

(6) उप-नियम (5) में निहित किसी बात के होते हुए, यदि महानिदेशक की राय यह है कि लोक सुरक्षा या राष्ट्रीय सुरक्षा या राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में ऐसा करना आवश्यक है तो वह ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जांएगे, से प्राधिकार पत्र को सरसरी तौर पर तबतक निलंबित कर सकेंगे, जबतक कि महानिदेशक संतोषप्रद हो जाने पर कि इन कमियों का समाधान नहीं कर लिया गया है।

[फा. सं. एवी-11012/103/2015-ओ]

डॉ शेफाली जुनेजा, संयुक्त सचिव,

टिप्पण.– मूल नियम तारीख 23 मार्च, 1937 की अधिसूचना संख्या वी-26 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन तारीख 4 अप्रैल, 2018 को भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-।।, खंड-3, उप-खंड-(i), में प्रकाशित तारीख 4 अप्रैल, 2018 की सा.का.नि.सं. 333 (अ) द्वारा किए गए।

MINISTRY OF CIVIL AVIATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st August, 2018

G.S.R. 864(E).— The following draft of certain rules further to amend the Aircraft Rules, 1937, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 5 of the Aircraft Act, 1934 (22 of 1934), is hereby published as required by section 14 of the said Act, for information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rules will be taken into consideration after a period of thirty days from the date on which copies of the Gazette of India, in which this notification is published, are made available to the public;

Objections or suggestions, if any, may be addressed to the Director-General of Civil Aviation, Opposite Safdarjung Airport, New Delhi-110003 or mailed to dgoffice.dgca@nic.in;

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the period specified above will be considered by the Central Government.

Draft Rules

1. (1) These rules may be called the Aircraft (……. Amendment) Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Aircraft Rules, 1937, in rule 29D,—

(A) in sub-rule (1),—

(a) for clause (i), the following shall be substituted, namely: —

"(i) is holding a Scheduled or Non-Scheduled Operator's Permit issued under rule 134 or 134A and engaged in the operation of aeroplanes and/or helicopters, as the case may be; or";

(b) in clause (iv) and (v), for the word "aircraft", the words "aircraft, engines or propellers approved under rule 133B" shall be substituted;

(c) for clause (vi), the following shall be substituted, namely:—

"(vi) is a maintenance organization approved under rule 133B and engaged in the maintenance of aeroplanes and/ or helicopters; or";

(B) in the Explanation, for item (a), the following shall be substituted, namely:—

"(a) "Safety Management System (SMS)" means a systematic approach to managing safety, including the necessary organizational structures, accountability, responsibilities, policies and procedures;".

(C) in rule 82, in sub-rule (1), for the words "may, at all reasonable times or intervals, enter any place to which access is necessary and", the words "shall have unrestricted and unlimited access" shall be substituted;

(D) for rule 134B, the following shall be substituted, namely:—

"134B. Aerial Work. – (1) No person shall undertake any aerial work unless he holds an authorisation issued by the Director-General:

Provided that any person holding a valid Non-Scheduled Operator's Permit granted under sub-rule (2) of rule 134A may undertake aerial work without holding such authorisation, subject to compliance with such requirements as may be specified by the Director-General.

(2) The Director-General may issue an authorisation for undertaking aerial work to any person on receipt of an application in prescribed format and on being satisfied that the requirements as specified in this behalf have been met. The continued validity of the authorisation shall be subject to compliance of such conditions as may be specified by the Director-General.

(3) The authorisation granted under sub-rule (2) shall, unless suspended or cancelled, remain valid for a period not exceeding two years, which may be renewed for a period not exceeding two years at a time.

(4) A fee of Rs. 50,000/- shall be payable for grant of authorisation under this rule and Rs. 25,000/- for renewal thereof. The fee shall be paid in a manner specified by the Director-General.

(5) The Director General, on being satisfied that, —

(i) any of the conditions of the authorisation has not been complied with by the holder of the authorisation, or

(ii) the authorisation was obtained by suppressing any information or by giving wrong information, or

(iii) the security clearance of the holder of the authorisation has been withdrawn or denied by the Central Government, Ministry of Home Affairs,

may cancel or suspend the authorization issued under this rule, for such period as he thinks fit:

Provided that no such authorisation shall be cancelled or suspended without giving a show-cause notice, in writing, informing the holder of authorisation the ground on which it is proposed to suspend or cancel the authorisation and giving him a reasonable opportunity of making a representation in writing within such reasonable time as may be specified in the notice and, if that person so desires, of being heard.

(6) Notwithstanding anything contained in sub-rule (5), if the Director-General is of the opinion that in the interest of public safety or national security it is necessary so to do, he may, for reasons to be recorded in writing, summarily suspend the authorisation till the deficiencies are resolved to the satisfaction of Director-General."

[F. No. AV.11012/103/2015-A]

Dr. SHEFALI JUNEJA, Jt. Secy.

Note.— The principal rules were published in the Gazette of India, *vide* notification number V-26, dated the 23rd March, 1937 and last amended *vide* G.S.R. 333(E) dated the 4th April, 2018 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i) dated the 4th April, 2018.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR
Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2018.09.18 13:37:08 +05'30'